राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत .....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 167 / 2015

1. परमजीत कौर पुत्री हरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी बख्तावाली तहसील व जिला श्री श्रीगंगानगर

– – वादीया

–:: बनाम ::–

1. मानसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बख्तावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुखदेवसिंह अधिवक्ता — वादीया
2. श्री अजय जुनेजा अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 06.06.2017

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीया की शादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मुताबिक हिन्दु रीति रिवाज सिख धर्म में प्रचलित रिवाजों के अनुसार आन्नद कारज से सन् 1982 में हुई तथा वह दोनो बतौर पति पत्नी वखतावाली में साथ रहकर सहवास करते रहे जिसके फलस्वरूप तीन संतानें पैदा हुई जो कि शादी शुद्धा है।

वादीया एवम् प्रतिवादीया के बीच मनमुटाव होनें के कारण दोनों में अनबन होनें से सम्भव ना रह जानें से तलाक की डिक्री पारिवारिक न्यायालय श्रीगंगानगर से दिनांक 29.09.2014 को जारी की गई निर्णय की नकल शामिल है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 19 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 33 / 38 मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1 ता 17 / 1 व 25 कुल 4.428 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी की नकल शामिल है। तलाक की कार्यवाही करनें से पूर्व वादीया के स्त्रीधन व खर्चा (आजीवन भरण पोषण राशि) के सम्बंध में बातचीत होनें पर प्रतिवादी नें मौखिक रूप से यह कथन किया कि उसके पास इसके लिये धन राशि नहीं है उसके पास उपरौक्त कृषि भूमि है जो के वह वादिया को दे सकता है। अतः सहमती पूर्वक स्त्रीधन व आजीवन भरण पोषण के रूप में प्रतिवादी द्वारा अपनी उपरोक्त कृषि भूमि वादी को दे दी। तब से वादिया का कब्जा चला आ रहा है। तथा वादिया नें इसी कारण स्त्रीधन व भरण पोषण राशि वसूल पानें का लिखकर दे दिया है क्योंकि उसको उपरोक्त कृषि भूमि मिल चुकि है। जो कि आज तक उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है।

उक्त कृषि भूमि अभी तक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह उपरोक्त कृषि भूमि से वादिया को जबरन बेदखल करनें तथा अन्य किसी को मुन्तकिल करनें की कोशिश में है अगर वह अपनें इस गल्त मकसद में सफल हो गया तो वादीया अपनें हक से महरूम हो जावेगी। तथा उसके साथ धोखा किया जाना माना जावेगा, और वादीया बिना वजह मुकदमा बाजी में फस जावेगी

अतः वादीया के लिये दावा हाजा लाना उक्त भूमि को खातेदारी घोषित करवाना राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिये दावा लाना जरूरी है।

वादीया नें प्रतिवादी संख्या 1 से बार बार आग्रह किया कि वह उक्त भूमि कि वादीया को खातेदार काश्तकार हकदार मानकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम हटवाकर वादीया का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाये तथा उक्त भूमि से वादिया को स्वयं अथवा अन्य की सहायता से जबरन बेदखल करनें से बाज व ममनु रहे मगर वह लालचवश होने से टालमटोल करते हुए दिनांक 02.10.2015 को साफ इन्कारी है। जो कि यही बिनाय मुखास्मत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद वादिया बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

1. डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि वादीया चक 19 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 33/38 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 1 ता 17 व 25 की 4.428 हैक्टर जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से स्त्रीधन व आजीवन निर्वाह भत्ता के रूप में मिली हुई है की खातेदारी काश्तकार व हकदार है तथ प्रतिवादी का नाम हटवाया जाकर वादीया के नाम से दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।
2. डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर की सादिर की जावे कि वह उक्त आराजी के वादिया के कब्जा काश्त में स्वयं तथा अन्य किसी के माध्यम से मदाखलत करनें जबरन बेदखल करनें अन्य किसी को किसी तरह से मुन्तकिल करनें से बाज म ममनु रहे
3. खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो वादीया के हित में प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब इकबाल दावा पेश कर वादीया के वाद पत्र को स्वीकार किया

प्रतिवादी संख्या 2 पैराकार राज द्वारा जबाब पेश कर कथन किया कि राज्य हित को मध्यनजर रखते हुए निर्णय किया जाना आवेदित है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें दावा तथा जबाब दावा को दोहराते हुए वादी वादी सवीकार किये जानें हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद पत्र के संलग्न पारिवारिक न्यायालय श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 29.09.2014 का अध्यन्न किया गया निर्णय के अनुसार वादीया द्वारा प्रतिवादी मानसिंह से अपना समस्त स्त्रीधन व आजीवन भरण पोषण की राशि एक मुश्त प्राप्त कर ली गई है। कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है आयन्दा भविष्य में प्रार्थीया परमजीकौर अपनें भरण पोषण व अन्य किसी तरह के खर्चे हेतु क्लेम प्रार्थी मानसिंह व उसके परिवार के अन्य किसी सदस्य से नहीं करेगी। इस कारण पारिवारिक न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.09.2014 के अनुसार वादीया प्रतिवादी से अब कुछ भी प्राप्त करनें की हकदार नहीं है। अतः वाद वादीया वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 06.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ..... के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर